भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2801
दिनांक 12 अगस्त, 2026 / 21 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

ई-साक्ष्य ऐप और फोरेंसिक डिजिटलीकरण

2801 # श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद, अपराध स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विकसित 'ई-साक्ष्य' मोबाइल एप्लिकेशन की वर्तमान प्रगति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश के सभी दूरदराज के पुलिस स्टेशनों और जांच अधिकारियों को इस ऐप को संचालित करने के लिए आवश्यक स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और क्लाउड स्टोरेज की सुविधा प्रदान कर दी है; और

(ग) डिजिटल साक्ष्यों की सुरक्षा, उनसे छेड़छाड़ रोकने और उनकी विधिक प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षा नयाचार अपनाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): ई-साक्ष्य मोबाइल एप्लिकेशन का विकास आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिक डिजिटल साक्ष्यों के प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु एक सुरक्षित, पारदर्शी तथा दक्ष डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। यह एप्लिकेशन पुलिस, अभियोजन, न्यायालयों तथा अन्य संबंधित हितधारकों के मध्य निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करते हुए साक्ष्य के संग्रहण से लेकर न्यायालय में प्रस्तुतिकरण तक उसकी अखंडता एवं प्रामाणिकता बनाए रखने में सहायक है। इस एप्लिकेशन का विकास अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली 2.0 परियोजना के अंतर्गत किया गया है। सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ई-साक्ष्य नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है तथा वे सभी सफलतापूर्वक ई-साक्ष्य एप्लिकेशन पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2801, दिनांक 12.08.2026

अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना 2.0 के अंतर्गत हार्डवेयर उन्नयन, नेटवर्क कनेक्टिविटी तथा आईईसी (सूचना, प्रशिक्षण एवं संचार) एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को ₹1,448.54 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। यह आवंटन संबंधित राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई खरीद योजनाओं तथा उनकी आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है।

(ग): डिजिटल साक्ष्यों की सुरक्षा, छेड़छाड़ की रोकथाम तथा उनकी विधिक ग्राह्यता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित प्रोटोकॉल अपनाए गए हैं:

i. प्राथमिक डिजिटल साक्ष्य की अखंडता उसके संपूर्ण जीवनचक्र के दौरान बनाए रखी जाती है।

ii. एप्लिकेशन का कार्यात्मक एवं सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से कराया जाता है।

iii. हैशिंग एवं एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम के माध्यम से साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को प्रभावी रूप से रोकने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

***